## स्टापर डियूटी में जाने वाले कर्मिचारियों को भेजते समय दिये जाने वाले दिशा–निर्देश (SOP)

1. स्टापर डियूटी में नियुक्त कर्मी साफ–सुथरी वर्दी धारण करें व अपना टर्न आउट उच्च श्रेणी का रखें, क्योंकि इससे पूरे देश में उ0प्र0 जीआरपी की छवि का सापेक्ष प्रभाव पड़ेगा।

2. नियुक्त कर्मी वर्दी में सिली हुई नेम प्लेट तथा बाँह पर जीआरपी की लाल पट्टी धारण करेंगे।

3. स्टापर डियूटी में नियुक्त कर्मी अपने साथ लाउड़ हेलर, टार्च, वीडियो कैमरा तथा रेल यात्रियों में जहरखुरानी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाली सामग्री जैसे पम्पलेट, स्टिकर व निर्भया कार्ड आदि उपलब्ध रखेंगे।

4. नियुक्त कर्मी स्थानीय रेलवे अधिकारियों, आरपीएफ व जीआरपी कर्मियों के मोबाइल नम्बर अपने पास उपलब्ध रखेंगे, जिससे आवश्यकतानुसार सम्बन्धित से सम्पर्क कर किया जा सके।

5. प्रायः रेल गाड़ियाँ प्रस्थान के समय से आधा घण्टा पूर्व प्लेटफार्म पर लग जाती है, उस समय विशेष रूप से जनरल बोगी के पास स्टापर डियूटी लाउड हेलर के माध्यम से रेलवे प्लेटफार्म पर उपस्थित रहते हुए यात्रियों को जहरखुरानी के सम्बन्ध में उद्घोषण करेंगें।

6. उपरोक्त रेलगाड़ी के प्रस्थान के समय तक लाउडहेलर से बार–बार उद्घोषणा की जाएः–

**"ऐसा अंजान व्यक्ति, सम्भव है कि अपने आप को आपके गाँव के आस–पास का बताकर आपकी भाषा बोलकर आपसे दोस्ती करने का प्रयास करे और फिर कुछ खिला–पिला दे। ऐसे लोगो से विशेषरूप से सतर्क रहें, क्योंकि वह जहरखुरान हो सकता है। अतः ऐसे व्यक्तियों द्वारा दी गयी चीजों को न तो स्वीकार किया जाये और न ही खाया पिया जाये। यदि किसी ने आपको कुछ खिला पिला दिया है या बार–बार खिलाने का प्रयास कर रहा है तो तत्काल जीआरपी कर्मियों को बतायें। यात्रियों से अनुरोध है कि यदि उनके आस–पास कहीं कोई व्यक्ति बेहोश/अर्द्धमूर्छित अवस्था में है तो तत्काल जीआरपी कर्मियों को सूचित करें।"**

7. रेल गाड़ियों के प्रस्थान के समय कर्मचारीगणों को उपलब्ध कराये गये पम्पलेट तथा महिलाओं को निर्भया कार्ड वितरित करें तथा बोगियों के अन्दर स्टिकर लगायें।

8. संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी लेंगें।

9. संदिग्ध वस्तु / लावारिश सूटकेश इत्यादि जो विस्फोटक हो सकता है, को चेक करें व विस्फोटक की सम्भावना होने पर समस्त सम्बन्धित को अवगत करायेंगें।

10. नियन्त्रण कक्ष जीआरपी मुख्यालय से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखेंगें।

11. आरपीफए/स्थानीय जीआरपी से सामन्जस्य स्थापित रखते हुए उनका भी सहयोग प्राप्त करेंगें।

12. रेल गाड़ियों मे चलने वाले जीआरपी/आरपीएफ का स्कोर्ट से सम्पर्क बनाये रखेंगे तथा उनकी भी समय से उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा उन्हें यथा आवश्यक दिशा निर्देश दें।

13. डियूटी रजिस्टर उपलब्ध रखेंगे जिसमें चेक की जाने वाली ट्रेन तथा ट्रेन के प्रस्थान के समय उद्घोषणा कराये जाने वाली ट्रेन तथा सम्बन्धित कर्मी का विवरण अंकित किया जायेगा। किसी भी अधिकारी द्वारा चेक किये जाने पर उक्त रजिस्टर प्रस्तुत किया जायेगा।

सभी पुलिस अधीक्षक रेलवे स्टापर डियूटी पर भेजे जाने वाले प्रत्येक कर्मी को (SOP) की प्रति उपलब्ध करायेगें, साथ में उन सभी ट्रेनों की जिनको स्टापर डियूटी कर्मियों द्वारा कवर कराना है उनकी सूची भी उपलब्ध कराना है ताकि कर्मियों को अपने कार्य में तरीके तथा कार्य किन–किन ट्रेनों पर करना है कि सही जानकारी रहे, उचित होगा कि इसके लिए (SOP) तथा ट्रेनो की सूची की पर्याप्त प्रतियां अनुभाग स्तर पर छपवा ली जायें एवं कर्मियों को दी जायें।

**प्रतिलिपि**–समस्त पुसिल अधीक्षक रेलवे को इस आशय के साथ की स्टापर डियूटी पर भेजते समय प्रत्येक प्रत्येक कर्मचारियों को यह निर्देश उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।